

अध्याय सूचि हरियाणा सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम, 2016		देखें पृष्ठ
अध्याय – I	प्रारम्भिक	1
अध्याय – II	परिभाषाएं	5
अध्याय – III	अवकाश को आगे ले जाना या पिछली सेवा का लाभ	9
अध्याय – IV	सामान्य शर्तें	11
अध्याय – V	अवकाश वेतन	17
अध्याय – VI	अवकाश प्रदान करना	19
अध्याय – VII	अवकाश के साथ संयोजन	23
अध्याय – VIII	चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश	27
अध्याय – IX	देय तथा अनुज्ञेय अवकाश की किस्म	33
अध्याय – X	अध्ययन अवकाश से भिन्न अवकाश की विशेष किस्में	41
अध्याय – XI	अध्ययन अवकाश	49
अध्याय – XII	अवकाश भुनाना	59
अध्याय – XIII	विविध	63
अध्याय – XIV	आकस्मिक अवकाश	65
अध्याय – XV	संगरोध अवकाश तथा विशेष आकस्मिक अवकाश	69
	अनुबंध-1	73
	अनुबंध-2	75
	अनुबंध-3	76
	अनुबंध-4	78
	अनुबंध-5	80
	अनुबंध-6	83

<b>नियमों की सूचि</b> <b>हरियाणा सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम, 2016</b>	
<b>अध्याय – I</b>	<b>प्रारम्भिक</b>
1.	संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ
2.	लागूकरण की सीमा।
3.	इन नियमों से असंगत विशेष उपबन्ध, यदि कोई हो।
4.	अवकाश के दावे का विनियमन।
5.	निर्वचन, संशोधन तथा छूट करने की शक्ति।
6.	अवकाश प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी।
7.	कार्यालयाध्यक्ष की जिम्मेवारी।
8.	निरसन तथा व्यावृत्ति।
<b>अध्याय– II</b>	<b>परिभाषाएं</b>
9.	परिभाषाएं
<b>अध्याय – III</b>	<b>अवकाश को आगे ले जाना या पिछली सेवा का लाभ</b>
10.	पश्चात्वर्ती नियुक्ति पर अवकाश को आगे ले जाना।
<b>अध्याय – IV</b>	<b>सामान्य शर्तें</b>
11.	सामान्य शर्तें।
12.	अवकाश का एक किस्म से दूसरी में परिवर्तन।
13.	लगातार अवकाश की अधिकतम मात्रा।
14.	जमा अवकाश पर पदच्युति, हटाए जाने, त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति का प्रभाव।
15.	अवकाश का प्रारम्भ तथा समाप्ति।
16.	अवकाश के समय सरकारी कर्मचारी को वापिस बुलाना।
17.	अवकाश की समाप्ति से पूर्व ड्यूटी पर वापसी।
18.	अवकाश से वापसी पर पहुंच रिपोर्ट।
19.	अवकाश से अधिक रुकना तथा जानबूझकर अनुपस्थिति।
20.	अवकाश के दौरान रोजगार की स्वीकार्यता।
<b>अध्याय – V</b>	<b>अवकाश वेतन</b>
21.	अवकाश के समय अवकाश वेतन

<b>अध्याय—VI</b>	<b>अवकाश प्रदान करना</b>
22.	अवकाश के लिए आवेदन।
23.	अवकाश किसे दिया जा सकता है।
24.	अवकाश प्रदान करने से पूर्व पात्रता का सत्यापन।
25.	निलम्बनाधीन सरकारी कर्मचारी को अवकाश।
26.	कतिपय परिस्थितियों में अवकाश प्रदान न किया जाना।
27.	अवकाश के लेखे का अनुरक्षण।
<b>अध्याय – VII</b>	<b>अवकाश के साथ संयोजन</b>
28.	छुट्टी तथा अवकाश का संयोजन।
29.	अवकाश के साथ (लम्बी) छुट्टी का संयोजन।
<b>अध्याय – VIII</b>	<b>चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश</b>
30.	चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश प्रदान करना।
31.	सरकारी कर्मचारी को अवकाश प्रदान करना जो ड्यूटी पर वापसी के लिए फिट किए जाने के लिए असम्भाव्य है।
32.	द्वितीय चिकित्सा राय।
33.	चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश से वापसी
34.	सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी/चिकित्सा बोर्ड के लिए हिदायते।
<b>अध्याय – IX</b>	<b>देय तथा अनुज्ञेय अवकाश की किस्म</b>
35.	लम्बी, छुट्टी विंग से भिन्न सरकारी कर्मचारियों को अर्जित अवकाश प्रदान करना।
36.	लम्बी छुट्टी विंग के कर्मचारियों को अर्जित अवकाश प्रदान करना।
37.	लम्बी छुट्टी के अध्यापन अमले से अन्यथा सरकारी कर्मचारियों को अर्धवेतन अवकाश प्रदान करना।
38.	परिवर्तित अवकाश प्रदान करना।
39.	अदेय अवकाश प्रदान करना।
40.	असाधारण अवकाश प्रदान करना।
41.	किसी एक अवसर पर असाधारण अवकाश की सीमा।
42.	असाधारण अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी।
43.	सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश प्रदान करना (एल पी आर)।

<b>अध्याय – X</b>	<b>अध्ययन अवकाश से भिन्न अवकाश की विशेष किस्में</b>
44.	मातृत्व अवकाश प्रदान करना।
45.	बालक दत्तकग्रहण अवकाश प्रदान करना।
46.	बालक देखभाल अवकाश प्रदान करना (सी सी एल)।
47.	पितृत्व अवकाश प्रदान करना।
48.	अस्पताल अवकाश प्रदान करना।
49.	विशेष अशक्तता अवकाश प्रदान करना।
<b>अध्याय – XI</b>	<b>अध्ययन अवकाश</b>
50.	अध्ययन अवकाश प्रदान करने की शर्ते।
51.	अध्ययन अवकाश के लिए आवेदन।
52.	अध्ययन अवकाश की अधिकतम मात्रा।
53.	अध्ययन अवकाश की स्वीकृति।
54.	अध्ययन अवकाश के साथ अन्य किस्म के अवकाश का संयोजन।
55.	अध्ययन पाठ्यक्रम से अधिक अध्ययन अवकाश का विनियमन।
56.	अध्ययन अवकाश के दौरान अवकाश वेतन।
57.	अध्ययन भत्ता प्रदान करने के लिए शर्ते।
58.	छात्रवृत्ति या वजीफे की प्राप्ति में सरकारी कर्मचारियों को अध्ययन भत्ता प्रदान करना।
59.	सरकारी कर्मचारी को अध्ययन भत्ता प्रदान करना जो अध्ययन अवकाश के दौरान अंशकालिक नियोजन स्वीकार करता है।
60.	यात्रा भत्ता प्रदान करना।
61.	अध्ययन के लिए फीस की लागत।
62.	बन्ध-पत्र का निष्पादन।
63.	अध्ययन अवकाश के बाद त्याग पत्र या सेवा निवृत्ति।
64.	पदोन्नति, पेंशन, वरिष्ठता, अवकाश तथा वेतनवृद्धि के लिए अध्ययन अवकाश की गणना करना।
<b>अध्याय – XII</b>	<b>अवकाश भुनाना</b>
65.	सेवानिवृत्ति या सेवा छोड़ने की तिथि को अवकाश भुनाना।
66.	सरकारी कर्मचारी की मृत्यु या गायब होने के मामले में अवकाश भुनाना।
67.	अवकाश भुनाने की गणना।

68.	अवकाश भुनाना जो अनुज्ञेय नहीं है।
69.	अवकाश भुनाने को रोकना।
70.	अवकाश भुनाने की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी।
<b>अध्याय – XIII</b>	<b>विविध</b>
71.	सेवानिवृत्ति तथा सेवा में विस्तार के बाद पुनः नियोजन की अवधि के दौरान अवकाश।
72.	परिवीक्षार्थियों को अवकाश।
73.	महाधिवक्ता को अवकाश।
<b>अध्याय– XIV</b>	<b>आकस्मिक अवकाश</b>
74.	आकस्मिक अवकाश प्रदान करना।
75.	स्वीकृति प्राधिकारी।
76.	प्रथम तथा अन्तिम कलैन्डर वर्ष के दौरान आकस्मिक अवकाश।
77.	आकस्मिक अवकाश के लेखे।
78.	लघु आकस्मिक अवकाश तथा देरी से उपस्थिति।
79.	आकस्मिक अवकाश की अधिकतम सीमा तथा अवकाश का संयोजन।
<b>अध्याय – XV</b>	<b>संगरोध अवकाश तथा विशेष आकस्मिक अवकाश</b>
80.	संगरोध अवकाश प्रदान करना।
81.	खून दान देने के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश।
82.	विशेष आकस्मिक अवकाश जब पागल जानवर द्वारा काटा गया है।
83.	अनुपयुक्त कार्यग्रहण समय के बदले में विशेष आकस्मिक अवकाश।
84.	परिवार कल्याण प्रोग्राम अपनाने के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश।
85.	खेल गतिविधियों में भागीदारी के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश।
86.	ड्यूटी के समय आतंकवादी हिंसा में घायल सरकारी कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश।
87.	मान्यता प्राप्त संघों की बैठकों/सम्मेलनों में हाजिर होने के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश।
	अनुबंध तथा प्ररूप